न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– पीयुष समारिया
आई0ए0एस0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व अपील सं0 114/2019

1. मनोज
2. सन्तोष

पिसरान फतहसिंह जाति राजपूत निवासी खोहरा कलां तहसील दौसा जिला दौसा।
... अपीलांट्स

बनाम

1. राजस्थान राज्य सरकार जरिये उप तहसीलदार सैंथल जिला दौसा। ...रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय उप तहसीलदार सैंथल जिला दौसा दिनांक 26.12.2018 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम मनोज, सन्तोष आदि मु0नं0 446/2018 अंतर्गत धारा 91 राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट।

उपस्थित : 1. श्री जगदीश सिंह, अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री नवल किशोर शर्मा, पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांकः 10.02.2021

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि पटवारी हल्का काली पहाडी द्वारा उप तहसीलदार सैंथल जिला दौसा के यहां इस आशय की रिपोर्ट पेश की गई थी कि ग्राम खोहरा कलां तहसील दौसा स्थित आराजी खसरा नंबर 237 रकबा 0.05 है0 किस्म गैर मुमकिन पहाड पर पुख्ता मकान बनाकर एवं आराजी खसरा नंबर 238 रकबा 0.07 है0 चरागाह पर तारबंदी कर अपीलांट्स द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सैंथल जिला दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.12.2018 के द्वारा अपीलांट्स को उक्त भूमि से बेदखल करने एवं पेनल्टी तथा 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दण्डित कर दिया गया। उप तहसीलदार सैंथल के उक्त आदेश दिनांक 26.12.2018 के विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट्स को सुनवाई एवं जबाव के अवसर दिये बिना एवं अपीलांट्स की विधिवत तामील कराये बिना ही उक्त निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने का कोई सबूत नही होते हुए भी पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर सजा का आदेश पारित किया है। अपीलांट्स को पटवारी हल्का से जिरह का मौका भी नहीं दिया गया और न ही पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट प्रदर्शित हुई। अपीलांट्स का पुख्ता मकान खसरा नं0 239 गै0मु0 आबादी मे है। जिसमे विद्युत कनेक्शन होना अवगत करवाया है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रश्नगत भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण नहीं होना व्यक्त करते हुए अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमाई जाने का निवेदन किया गया।

अधिवक्ता द्वारा बहस में निवेदन किया गया है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत करने पर भू अभिलेख निरीक्षक से जांच करवाई गई। भू अभिलेख निरीक्षक की जाँच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट्स को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है। नोटिस की

तामील प्रति पत्रावली में संलग्न है। अपीलांट्स का यह कथन उचित नहीं है कि साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट की कैफियत में पुराना अतिक्रमण होना बताया है। पटवारी हल्का के बयान पत्रावली में संलग्न है। अपीलांट्स अतिक्रमी की श्रेणी में आते है। अपीलांट्स द्वारा खसरा नं0 237 एवं 238 की राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है। अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांट्स खारिज फरमाई जावें।

अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट धारा 91 की जॉच भू अभिलेख निरीक्षक से करवाई गई। भू अभिलेख निरीक्षक की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट्स द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों पर गौर किया गया। अपीलांट्स को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। नोटिस तामील होने के बावजूद अपीलांट्स स्वयं अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स का यह कथन उचित नही है कि उसको सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर नही दिया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट मे ग्राम खोहरा कलां तहसील दौसा मे स्थित गैर मुमकिन पहाड एवं चरागाह की भूमि क्रमशः खसरा नं0 237 रकबा 0.05 है0 भूमि पर पुख्ता मकान बनाकर एवं खसरा नं0 238 रकबा 0.07 है0 भूमि पर तारबंदी कर अपीलांट्स द्वारा अतिक्रमण करना बताया है। साथ ही रिपोर्ट की कैफियत में पुराना अतिक्रमण होना बताया है। अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज खसरा नं0 239 से संबंधित है, जबकि अपीलांट्स द्वारा अतिक्रमण खसरा नं0 237 पर 238 किया गया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट्स द्वारा गैर मुमकिन पहाड एवं चरागाह भूमि पर अतिक्रमण किया गया है परन्तु अपीलांट्स द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर खसरा नंबर 237, 238 की अतिक्रमित भूमि पर से अतिक्रमण हटा लिया जाना एवं वर्तमान में कोई अतिक्रमण नहीं होने बाबत शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है। इसलिए अपीलांट्स के शपथ-पत्र को ध्यान में रखते हुए अतिक्रमियों के प्रति नरमी का रुख अपनाया जाकर सिविल कारावास की सजा पर विचार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट्स आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.12.2018 में से सिविल कारावास की सजा अतिक्रमण हटा लेने की शर्त पर निरस्त की जाती है। शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अपीलांट्स द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत शपथ-पत्र में अंकित तथ्यों का भौतिक सत्यापन अधीनस्थ न्यायालय स्वयं करें। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मय अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र की छाया प्रति व निर्णय की प्रति सहित लौटाया जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 10.02.2021 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा